न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– कमर चौधरी
आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 19/2010 आवंटन नियम 14(4)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दौसा जिला दौसा

..प्रार्थी

बनाम

मूलचंद पुत्र प्रभात जाति कोली निवासी बरखेडा तहसील दौसा जिला राजस्थान

..अप्रार्थी

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रार्थना पत्र 14 (4) आवंटन नियम–1970 विरूद्ध आवंटन आदेश आवंटन सलाहकार समिति दिनांक 5.6.1989 जिसके तहत अप्रार्थी मूलचंद पुत्र प्रभात कोली को वाके ग्राम दौसा बरखेडा में स्थित भूमि 156, 675/912 व 674/911 रकबा 0.34है. भूमि का आवंटन किया गया है।

उपस्थित–1. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।
2. अप्रार्थी अनुपस्थित।

<u>निर्णय</u> दिनांक: 22.9.2022

संक्षिप्त वृतांत प्रा0 पत्र 14 (4) इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 5.6.1989 को ग्राम बरखेडा तहसील दौसा के खसरा नंबर 156, 675/912 व 674/911 रकबा 0.34है. का आवंटन अप्रार्थी मूलचंद पुत्र प्रभात कोली निवासी बरखेडा को कर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा आवण्टन की शर्तो की पालना नहीं करने के कारण तहसीलदार, दौसा द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) भू–आवण्टन नियम–1970 के तहत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रा0 पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आवंटन सलाहकार समिति कैंप खैरवाल में अप्रार्थी मूलचंद पुत्र प्रभात जाति कोली निवासी खैरवाल तहसील दौसा जिला दौसा को ग्राम खैरवाल स्थित भूमि खसरा नंबर 156 रकबा 0.20है., खसरा नंबर 675/912 रकबा 0.06है. खसरा नंबर 674/911 रकबा 0.08है. कुल किता 3 रकबा 0.34है. का आवंटन किया गया है। आवंटन के बाद से ही भूमि पर आवंटी का कब्जा नहीं रहा है। खसरा नंबर 156 रकबा 0.20है. खसरा नंबर 152 में मिला हुआ है। खसरा नंबर 152 रूघनाथ, सत्यनारायण पि0 मूलचंद गुर्जर की खातेदारी में है एवं उन्हीं का कब्जा है। खसरा नंबर 674/911 रकबा 0.08है. एवं खसरा नंबर 675/912 रकबा 0.06है. मूल रूप से खसरा नंबर 674 व 675 में मिला हुआ है। खसरा नंबर 674/912 पर मौका स्थिति अनुसार राधाकिशन, मदनलाल पि0 भोंरी लाल गुर्जर निवासी बरखेडा का कब्जा है, जिसमें से कुछ हिस्से पर पक्का निर्माण भी हो रखा है। खसरा नंबर 674/911 पर माधो पुत्र गोदूराम गुर्जर द्वारा कब्जा कर रखा है जिसमें एक छप्पर भी बना हुआ है। आवंटी का आज दिनांक तक मौके कब्जा नहीं रहा है। आवंटी द्वारा कोई काश्त नहीं की गई है। अतः अप्रार्थी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नही होने के कारण आवंटन निरस्त योग्य होने से अप्रार्थी मूलचंद पुत्र प्रभात कोली निवासी बरखेडा को किया गया आवंटन दिनांक 15.6.1989 को निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:53:34 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर....2 पर

अप्रार्थी बाद तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर राजकीय अधिवक्ता की एकतरफा बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवंटन सलाहकार समिति कैंप खैरवाल द्वारा दिनांक 5.6.19869 को अप्रार्थी मूलचंद पुत्र प्रभात जाति कोली निवासी बरखेडा को ग्राम बरखेडा स्थित भूमि खसरा नंबर 156 रकबा 0.20है. खसरा नंबर 675/912 रकबा 0.06है. खसरा नंबर 674/912 रकबा 0.08है0 कुल किता 3 रकबा 0.34है. भूमि का आवंटन किया गया था। भूमि वर्तमान में भी गैर खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली में संलग्न नकल खसरा गिरदावरी संवत 2063 से 2065 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि उक्त संवतों में बंजड पडी हुई है। प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 के संलग्न पटवारी हल्का की रिपोर्ट में भी आवंटन के बाद से ही भूमि पर आवंटी का कब्जा नहीं होना बताया है। खसरा नंबर 156 रकबा 0.20है. खसरा नंबर 152 में मिला हुआ है। खसरा नंबर 152 रूघनाथ, सत्यनारायण पि0 मूलचंद गुर्जर की खातेदारी में है एवं उन्हीं का कब्जा है। खसरा नंबर 674/911 रकबा 0.08है. एवं खसरा नंबर 675/912 रकबा 0.06है. मूल रूप से खसरा नंबर 674 व 675 में मिला हुआ है। खसरा नंबर 674/912 पर मौका स्थिति अनुसार राधाकिशन, मदनलाल पि0 भोंरी लाल गुर्जर निवासी बरखेडा का कब्जा है, जिसमें से कुछ हिस्से पर पक्का निर्माण भी हो रहा है। खसरा नंबर 674/911 पर माधो पुत्र गोदूराम गुर्जर द्वारा कब्जा कर रखा है जिसमें एक छप्पर भी बना हुआ है। आवंटी/गैर खातेदार द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की गई है। आवंटन की शर्तों की पालना नहीं करने से आवंटन का प्रयोजन ही समाप्त हो जाता है। आवंटित की गई भूमि खसरा नंबर 156 रकबा 0.20है. खसरा नंबर 675/912 रकबा 0.06है. खसरा नंबर 674/912 रकबा 0.08है0 कुल किता 3 रकबा 0. 34है. पर आवंटी का कब्जा काश्त प्रमाणित नहीं होता है। आवंटित भूमि पर अन्य व्यक्यिों का कब्जा होना ज्ञात होता है। अतः आवंटन सलाहकार समिति कैंप खैरवाल द्वारा आवंटी मूलचंद पुत्र प्रभात जाति कोली निवासी निवासी बरखेडा को ग्राम बरखेडा स्थित प्रश्नगत आवंटित भूमि पर आवंटन की शर्तों की पालना नहीं करने से उक्त आवंटन आदेश को निरस्त किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आण्धार पर प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है। आवंटन सलाहकार समिति मुकाम खैरवाल की बैठक दिनांक 05.06.1989 द्वारा ग्राम बरखेडा स्थित भूमि खसरा नंबर 156 रकबा 0. 20है., खसरा नंबर 675/912 रकबा 0.06है. खसरा नंबर 674/911 रकबा 0.08है. कुल किता 3 रकबा 0.34है. का अप्रार्थी मूलचंद पुत्र प्रभात कोली नि0 बरखेडा के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा को प्रेषित की जावे। निर्णय की एक छाया प्रति जिला अभिलेखागार को मूल अभिलेख के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:53:34 IST
Reason: SelfAttested

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांकः 22 सितंबर 2022 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा